

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिर्षक

ग्राम पंचायत- जोला

प्रकरण संख्या:- मुं. 267/25

दिनांक:- 31/02/25

उनवान

श्री राधेश्याम डूंग
कै कलाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ सत्यानकदस्तावेज, पटवारी हल्का जोला भू. अ. नि. आदलवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम देवतपुरा प. 0 ह. 0 जोला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 117, 138, 172, 119, 112, 113 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>जाति</u>	<u>राधेश्याम डूंग</u> <u>कै कलाल जाति</u> <u>पूर्विका</u>	<u>राधेश्याम डूंग</u> <u>कै कलाल जाति</u> <u>राजपुर (शेख)</u> <u>देवतपुरा जमाबन्दी</u>

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स. मा. 0)
 चौथ का बरवाड़ा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री राधेश्याम डूंग कै कलाल राजपुर

Im
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा



उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा